

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

स मुकदमा लक्ष्मी वरुण विपक्षी रुक्मिणी
0924 CPE पत्रावली संख्या 112/23 सन _____

क्र.सं.	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p><u>11/11/24</u> पत्रावली पेश हुई। मध्य उपखण्ड उपा. मध्य. वादी द्वारा वारिस कायम की मौका चाहे। मध्य. वादी आवश्यक रूप से आगामी पेशी पर वारिस कायम करावे। पत्रावली वास्तविक वारिस कायम दिनांक <u>15/12/24</u> को पेश हो।</p> <p><u>16/12/24</u> वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप. वारिस कायम के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>मिर्च</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>25/02/25</u> को पेश हो।</p> <p><u>25/2/25</u> वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप. वारिस कायम के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>मिर्च</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>01/4/25</u> को पेश हो।</p> <p><u>01/4/25</u> वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप. वारिस कायम के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>मिर्च</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>13/5/25</u> को पेश हो।</p> <p><u>13/5/25</u> वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप. वारिस कायम के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>मिर्च</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>16/6/25</u> को पेश हो।</p>	<p>SDO मावली</p> <p>SDO मावली</p> <p>(SDO) मावली</p> <p>(SDO) मावली</p>



4/1/25
वेकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. आदेश
के लिये मौका चाहते हैं। अतः 31/1/25
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 18/1/25
को पेश हो।
M
(SDO) मावली

18/1/25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.। आदेश वादी द्वारा प्रार्थनापत्र
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का आदेश वादी द्वारा पेश
बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य आदेश वादी द्वारा पेश
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश आदेश वादी द्वारा पेश
के क्रम में दिनांक 24/7/25 को पेश हो।
D.O.
2

24/7/25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.।
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश
के क्रम में दिनांक 4/9/25 को पेश हो।
D.O.
2

04/9/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण
मय स्वयं प्रार्थीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता
प्रार्थीगण मय स्वयं प्रार्थीगण को बार-बार
आवाजे दिलवहि गई। समय सायं 5:00 P.M. हो
लुके हैं। स्वयं प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता
अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता
प्रार्थीगण मय स्वयं प्रार्थीगण अनुपस्थित रहने
पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अहम हाजरी अहम
पैरवी में जारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुले -आयालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
(SDO) मावली